



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 24.03.2025

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 148/25 धारा
191(2)/191(3)/131/333 /115(2)/352/351/110 बीएनएस में वांछित 01
अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 डंडा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 16.03.2025 को
थाना बड़ौत पर वादी
अनिल पुत्र रघुनाथ
निवासी ग्राम लुहारी थाना
बड़ौत जनपद बागपत ने
सूचना दी कि अभियुक्तों
1.विकास पुत्र महेन्द्र,
2.अमर पुत्र बबलू,
3.बबलू पुत्र महेन्द्र,
4.अन्जूल पुत्र श्रीषपाल,
5.लोकेन्द्र पुत्र रिशपाल
निवासीगण ग्राम लुहारी



थाना बड़ौत जनपद बागपत के द्वारा एक राय होकर लाठी डण्डें व धारदार हथियार लेकर उसके घर में घुसकर उसके व उसके परिजनों के ऊपर हमला कर मारपीट की तथा उनको गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 148/25 धारा 191(2)/191(3)/131/333/115(2)/352/351 बी.एन.एस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 148/25 धारा 191(2)/191(3)/131/333/115(2)/352/351

बी.एन.एस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 डंडा बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:

अमर पुत्र बबलू उर्फ अमरेश निवासी ग्राम लुहारी थाना बड़ौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।

2-है0का0 437 बलजीत सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत।

3-है0का0 438 कवित कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 24.03.2025

थाना खेकडा पुलिस व चिकित्सा विभाग खेकडा/ गुडगाँव हरियाणा की संयुक्त टीम ने कस्बा खेकडा में अवैध तरीके से भ्रूण के लिंग की जाँच करने वाले अल्ट्रासाउण्ड सेंटर से 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से रजिस्टर बुक, पीएनडीटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सीसीटीवी फुटेज DVR, रिपोर्ट व फॉर्म, देव डायग्नोस्टिक सेंटर लोनी के फोल्डर पेज, एक पैन ड्राइव, 9500 रुपये नगद बरामद।

कार्यवाही-

दिनांक 23-03-2025 को थाना खेकडा पुलिस व चिकित्सा विभाग खेकडा/ गुडगाँव हरियाणा की संयुक्त टीम को कस्बा खेकडा में अवैध तरीके से अल्ट्रासाउण्ड सेंटर चलने की सूचना मिली जहां पर भ्रूण के लिंग की जांच की जा रही थी।



सूचना पर थाना खेकडा पुलिस व चिकित्सा विभाग खेकडा/ गुडगाँव हरियाणा की संयुक्त टीम द्वारा अवैध तरीके से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर को सीज करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से रजिस्टर बुक, पीएनडीटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सीसीटीवी फुटेज DVR, रिपोर्ट व फॉर्म, देव डायग्नोस्टिक सेंटर लोनी के फोल्डर पेज, एक पैन ड्राईव, 9500 रुपये नगद बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता-

- 1-सचिन कुमार पुत्र श्रीपाल उर्फ शिवपाल निवासी देशराज नगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
- 2-गौरव पुत्र महेन्द्र कुमार निवासी नेहरू कॉलोनी थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद।
- 3-आदर्श कुमार पुत्र पिकू शर्मा निवासी आर्य नगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।



बरामदगी का विवरण-

- रजिस्टर बुक, पीएनडीटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
- सीसीटीवी फुटेज DVR व एक पैन ड्राईव।
- रिपोर्ट व फॉर्म, देव डायग्नोस्टिक सेंटर लोनी के फोल्डर पेज।
- 9500 रुपये नगद।

गिरफ्तार अभियुक्त सचिन कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 1-मु0अ0सं0 100/25 धारा 61(2)/318(4) बीएनएस 3(1)/3(2)/3(3)/4/5(1)a/6a/6c PCPNDT व 34 राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 858/23 धारा 120-B/147/148/307/325/333/341/427/504/506 भादवि थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद।
- 3-मु0अ0सं0 247/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद।
- 4-मु0अ0सं0 183/24 धारा 506 भादवि थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थाना खेकडा पुलिस टीम।
- 2- चिकित्सा विभाग बागपत टीम।
- 3-चिकित्सा विभाग गुडगाँव हरियाणा टीम।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 24.03.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 84/25 धारा 109(1)/351(2) /3(5)/61(2) बीएनएस में प्रकाश में आये वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-11.03.25 को वादी श्री आदित्य पुत्र निरपाल निवासी मतातनगर थाना बालैनी जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.शुभम पुत्र रणजीत, 2. 01 बाल अपचारी निवासीगण ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा



उसको जान से मारने की धमकी दी व जान से मारने की नीयत से गोली चला दी जिससे वह बाल-बाल बच गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 84/2025 धारा 109(1)/351(2)/3(5)/61(2) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया ।

नोट- उक्त अभियोग में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा अभियुक्तों 1.शुभम पुत्र रणजीत 2. 01 बाल अपचारी निवासीगण हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया जा चुका है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 84/25 धारा 109(1)/351(2)/3(5)/61(2) बीएनएस में प्रकाश में आये 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

वंश पुत्र राकेश निवासी ग्राम सैडभर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-है0का0 613 नवीन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

दिनांक 24.03.2025

बागपत पुलिस ने 07 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही- बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 07 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्तों

का नाम व पता-

- 1-नितिन पुत्र नरेश निवासी ग्राम ललियाना थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-सचिन पुत्र स्व0 रामदत्त निवासी ग्राम ललियाना थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-अभि उर्फ झण्डु पुत्र सुभाष निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 4-नैनिस उर्फ शनि पुत्र गौरी उर्फ जयदेव ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 5-गौरव पुत्र बिल्लू निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 6-आकाश पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 7-मोनू पुत्र रामदिया निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थाना चांदीनगर पुलिस टीम ।
- 2-थाना छपरौली पुलिस टीम ।

